प्रकाशनार्थ

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सेक्टर–7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष- (0551) 2580010, 2580090 फैक्स. (0551) 2580020

नीलामी सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत गीडा के विकसित सेक्टरों में पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु पूर्व में लगायी गयी स्ट्रीट लाईटे/सोडियम लाईटे एवम् अन्य विद्युत सामग्रीं जो वर्तमान समय में निष्प्रयोज्य हो गयी हैं। निष्प्रोज्य हो चुकी विद्युत सामग्रीं गीडा के औद्योगिक सेक्टर–13, में स्थित पानी टंकी के वॉटर वर्कस कैम्पस में नीलामी हेतु रखी गयी है। नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन फार्म गीडा कार्यालय के वित्त अनुभाग से रू0 200.00 जमा कर दिनॉक 25–09–2020 से 06–10–2020 तक प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन फार्म में अर्हता धराहेर धनराशि नियम एवम् शर्तें तथा निष्प्रयोज्य विद्युत सामग्री की सूची का विवरण अंकित है। इच्छुक फर्म/व्यक्ति द्वारा आवेदन फार्म को पूर्णरूपेण भर कर दिनॉक 07–10–2020 तक वांछित धरोहर धनराशि के साथ गीडा कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। इच्छुक फर्म/व्यक्ति द्वारा दिनॉक 07–10–2020 को सेक्टर–13 मे उक्त नीलामी स्थल पर समय 11:00 बजे पूर्वान्ह में उपस्थित होकर नीलामी मे भाग लेने हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा–गोरखपुर

पत्रांक 1850/अभि0नि0–6/नी0सू0(वि0)/गीडा/2020–21 दिनॉक :23 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि :–

1– सहायक महा प्रबन्धक (सम्पत्ति)/जन सम्पर्क अधिकारी गीडा को दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

2– श्री श्रवण सिंह कम्प्यूॅटर अनभुाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि गीडा बेवसाईट पर www.gidagkp.org पर सूचनायें अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3– गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा–गोरखपुर

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

संस्थागत सेक्टर--7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष–(0551) 2580010, 2580090 फैक्स. (0551) 2580020

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अर्न्तगत गीडा के विकसित सेक्टरों में पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु पूर्व में लगायी गयी स्ट्रीट लाईटे/सोडियम लाईटे एवम् अन्य विद्युत सामग्रीं जो वर्तमान समय में निष्प्रयोज्य हो गयी हैं। निष्प्रोज्य हो चुकी विद्युत सामग्रीं गीडा के औद्योगिक सेक्टर–13, में स्थित पानी टंकी के वॉटर वर्कस कैम्पस में नीलामी हेतु रखी गयी है। नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन फार्म गीडा कार्यालय के वित्त अनुभाग से रू0 200.00 जमा कर दिनॉक 25–09–2020 से 06–10–2020 तक प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन फार्म में अर्हता नियम एवम् शर्तें तथा निष्प्रयोज्य विद्युत सामग्री की सूची एवम् आरक्षित धनराशि का विवरण अंकित है। इच्छुक फर्म/व्यक्ति द्वारा आवेदन फार्म को पूर्णरूपेण भर कर दिनॉक 07–09–2020 तक वांछित धरोहर धनराशि के साथ गीडा कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। इच्छुक फर्म/व्यक्ति द्वारा दिनॉक 07–10–2020 को सेक्टर–13 मे उक्त नीलामी स्थल पर समय 11:00 बजे पूर्वान्ह में उपस्थित होकर नीलामी मे भाग लेने हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है।

नियम एवं शर्ते :–

1– नीलामी मे भाग लेने वाले फर्म/व्यक्ति को धरोहर धनराशि के रूप में रू0 53800.00 (तिरपन हजार आठ सौ मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक/डाक घर का एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्रधिकरण के नाम से एवमं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के पक्ष में बंधक होगा मूल रूप से संलग्न करना अनिवार्य है।

2– नीलामी मे भाग लेने वाले सफल फर्म/व्यक्ति द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि को निष्प्रयोज्य सामग्रीं को ले जाने एवम् नीलामी मे बोली गयी सकल धनराशि को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा, के खाते मे जमा करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

3– नीलामी मे भाग लेने वाले फर्म/व्यक्ति को अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी0एस0टी0 नं0 की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

4– नीलामी मे भाग लेने वाले फर्म/व्यक्ति को नीलामी में सफल पाये जाने पर सेक्टर–13, पानी टंकी कैम्पस में रखी उक्त निष्प्रयोज्य विद्युत सामग्री को एक सप्ताह के अन्दर स्वयं के खर्चे पर कैम्पस खाली करना अनिवार्य होगा।

5– नीलामी मे भाग लेने वाले फर्म/व्यक्ति को सफल पाये जाने पर नीलामी लगायी गयी बोली की धनराशि का मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के पक्ष में जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट को तीन दिवस के अन्दर गीडा के वित्त अनुभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।

6– नीलामी मे भाग लेने वाले फर्म/व्यक्ति द्वारा गीडा वित्त अनुभाग में जमा की गयी धनराशि की रसीद प्राप्त करने के उपरान्त ही निष्प्रयोज्य सामग्रीं को ले जाना होगा।

7– नीलामी मे भाग लेने वाले फर्म/व्यक्ति द्वारा यदि सफल बोली लगाये जाने के बाद यदि उपरोक्त नियम एवम् शर्तो का पालन नही किया जाता है, तो जमा की गयी धरोहर धनराशि को जब्त कर ली जायेगी।

8–निष्प्रयोज्य विद्युत सामग्रीं का अवलोकन/निरीक्षण गीडा सेक्टर–13, वाटर वर्कस कैम्पस पर किसी भी कार्य दिवस मे किया जा सकता है।

9– नीलामी मे भाग लेने वाले फर्म/व्यक्ति द्वारा उपरोक्तानुसार रू0 100.00 के नान जूडिशीयल स्टैंम्प पेपर पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10– नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा के पास निहित होगा।

11– नीलामी हेतु निर्धारित तिथि में यदि अवकाश अथवा सार्वजनिक अवकाश होता है, तो अगली नीलामी तिथि गीडा के अगले कार्य दिवस में सम्पन्न करायी जायेगी।

12– नीलामी से संबंधित किसी भी विवाद हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का निर्णय अन्तिम एवम् मान्य होगा।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा–गोरखपुर

पत्रांक 1851/अभि0 नि0–6/नी0सू0(वि0)/गीडा/2020–21 दिनॉक 23 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि :–

1– सहायक महा प्रबन्धक (सम्पत्ति)/जन सम्पर्क अधिकारी गीडा को दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

2– श्री श्रवण सिंह कम्प्यूॅटर अनभुाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि गीडा बेबसाईट पर www.gidagkp.org पर सूचनायें अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3– गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

Sanjay

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा–गोरखपुर